उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-19/2024/971/77-6-2024-6002(099)/8/2021

लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2024

संशोधन/शुद्धि-पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू0 30.00 करोड़ (रूपया तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्राविधानित का 1/6 भाग, जो कि रू0 5,00,00,000.00(रूपये पॉच करोड़ मात्र) है, की प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत विषयक शासनादेश संख्या-17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को निर्गत किया गया है। अत: उक्त शासनोदश के प्रस्तर-3 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्थान पर त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 अंकित हो गया है।

2- अत: शासनादेश संख्या-17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 को "चालू वित्तीय वर्ष 2024-25" पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2024/971(1)/77-6-2024-6002(099)/8/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in